न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 95/2018
3. उनवान : 1. सागरमल पुत्र रामेश्वर
   2. विमला देवी पत्नी रामनिवास
   3. दीपचन्द पुत्र किशनलाल
   समस्त निवासी बधाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

   बनाम

   राज्य सरकार ज़रिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 03-08-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) श्री बंशीधर जाट अपीलार्थीगण की ओर से।
   ब) पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा एक नोटिस धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जारी किया, जिसमें कृषि वर्ष 2071 के दौरान तहसील किशनगढ रेनवाल के ग्राम बधाल के खसरा नंबर 302 को अनाधिकृत सरकारी भूमि जो माप में 9 बीघा 17 बिस्वा है, पर अतिचार होना अंकित किया है। उक्त तामील नोटिस अपीलांट्स 1 व 2 को प्राप्त नही हुआ है तथा नियत दिनांक 24.04.15 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीलाधीन निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत एवं बिना अपीलांटस को सुनवाई जवाब साक्ष्य का अवसर प्रदान किये ही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकींग आर्डर नही है, तथा साईक्लोस्टाईल आर्डर है, जो विधि अनुसार गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अलग अलग अतिक्रमियों के बाबत् एक ही पत्रावली द्वारा निर्णय दिया है, जो गलत है, क्योकि अपीलांटस 1, 2 व 3 का आपस में कोई संबंध नही है तथा अपीलांट 1,2 व 3 का आपस में कोई संबंध नही है, तथा अपीलांटस 1 व 2 पर नोटिस की विधिवत तामिल बिना ही निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल की है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नही हो सकी दिनांक 3.07.15 को तहसील कार्यालय में जाकर निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुई है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 24.04.15 पत्रावली सं0 30/15 अपास्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी जारी किये गये एवं मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया कि ग्राम बधाल के खसरा नंबर 302 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा की बेदखली की कार्यवाही नियम विरूद्ध है। हल्का पटवारी द्वारा अतिकमण की संयुक्त रिपोर्ट बनाई गई है, क्योंकि अपीलांटस 1, 2 व 3 का आपस में कोई संबंध नही है। अधीनस्थ

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

न्यायालय की पत्रावली में नोटिस प्रोपर तामील नहीं है। अपीलांट्स को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाधीन भूमि पूर्व में अपीलांट्स को आवंटित की गई थी, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया, जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन है। अपीलांट्स का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 24.04.15 पत्रावली सं0 30/15 अपास्त किया जावे।

सरकार पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम बधाल के खसरा नंबर 302 पर अवैध अतिकमण किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमि की किस्म गै.मु. तालाब है। हल्का पटवारी द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीयों को तलब किया गया एवं अपीलांट्स का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) नियमानुसार बेदखली हेतु दिनांक 24.04.2015 को निर्णय पारित किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही विधि अनुसार की गई है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमाया जाये।

हम अपीलार्थी की अपील, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा वकील अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजों का अवलोकन तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अपीलाधीन विवादित आराजीयात खसरा नंबर 302 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बधाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर की किस्म गैर मुमकिन तालाब है, जिस पर अपीलार्थीगण का अतिकमण मानते हुए रेस्पोडेन्ट तहसीलदार किशनगढ रेनवाल ने धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। रेस्पोडेन्ट की उक्त कार्यवाही विधि के प्रावधानों और प्रकियाओं के अन्तर्गत की गई है, जिसमें अपीलार्थीगण का कब्जा माना जाकर बेदखल व शास्ति की कार्यवाही की गई है। अतिकमण नहीं होने बाबत अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में कोई कथन नहीं किया है और ना ही कोई शपथ पत्र दिया है। जहां तक सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थीगण में से दीपचन्द द्वारा नोटिस प्राप्त किया जाना पत्रावली से पुष्ट है और संयुक्त रूप से अपील करने के तथ्य से आपसी संबंध भी पुष्ट है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम सरकार के मामले में दिये गये निर्णय का उल्लंघन भी अपीलार्थीगण द्वारा किया जाना सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई कार्यवाही में विधि के प्रावधानों एवं प्रकियाओं का उल्लंघन होना पुष्ट नहीं होने से अपील खारिज योग्य सिद्ध होती है।

अतः अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर